

कार्यालय जिलाधिकारी, (खनन अनुभाग) कानपुर नगर।

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

पत्रांक: 680 / तीस-उप खनिज / 2017

प्रारूप-1
दिनांक: जून, 09, 2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर नगर में नदी तल से उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश सं०-715/86-2017-57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 6 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अर्न्तगत खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नांकित क्षेत्रों को उपलब्ध घोषित किया जाता है। इस सम्बंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में प्रकाशित ई-निविदा संख्या-629 दिनांक 11.05.2017 व 645 दिनांक 26.05.2017 में दिये गये विवरण के अनुसार समूही, में मात्र एक ही निविदाकार होने के कारण तथा कटरी दुर्गापुर, में कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निम्नलिखित दो क्षेत्रों हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है। मानसून सत्र दिनांक 01.07.2017 से 30.09.2017 में खनन नहीं किया जायेगा। खनन केवल दो मीटर की गहराई तक किया जायेगा। तथा उक्त शासनादेश के अर्न्तगत सभी शर्तें मान्य होंगी।

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार (घनमीटर)
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	घाटमपुर	समूही	1598घ	10.00	रेलवे पुल	गाटा संख्या 2105	गाटा संख्या 1598	1598घ का जुजु भाग	मौरम	80,000 दर 150 रु० प्रति घनमीटर
2	बिल्हौर	कटरी दुर्गापुर	12	10.38	आ०न० 12 का जुजु भाग	ग्राम दुर्गापुर बांगर	आ०न० 12 का जुजु भाग	कटरी बेहटा गांव	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	83,040 दर 65 रु० प्रतिघनमीटर

उक्त खनन के क्षेत्रों में खनन हेतु ई-निविदा आमंत्रित किये जाने तथा खनन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कम पुनः ई-निविदा का कार्यक्रम निम्नप्रकार निर्धारित किया जाता है।

1. निविदा प्रारम्भ होने की तिथि 10.06.2017 प्रातः समय 10.00।
2. निविदा समाप्त होने की अन्तिम तिथि 16.06.2017 समय सायः 5.00 बजे तक।
3. अभिलेख कार्यालय में जमा करने की तिथि 17.06.2017 समय सायः 05.00 बजे तक।
4. निविदा खोले जाने की तिथि 19.06.2017 प्रातः 10.00 से कार्य समाप्ति तक।
5. नियम व शर्तों की पूर्ण जानकारी वेबसाइट **Mineral.up.nic.in** पर लॉग इन कर प्राप्त कर प्राप्त करें।
6. उपरोक्त विज्ञप्ति से सम्बंधित आवश्यक, सूचना विज्ञापित किये गये क्षेत्रों, नियमों एवं शर्तों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला खनन कार्यालय, कलेक्ट्रेट कानपुर नगर से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर एवं उप जिलाधिकारी सदर/घाटमपुर/बिल्हौर के सूचना पट पर देखी जा सकती है।
7. खनन कार्य निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ से जारी खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा।
8. खनन कार्य पर्यावरण वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

(सुरेन्द्र सिंह)

जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय (कानपुर नगर), भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
4. प्रबन्धक निदेशक यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति का कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०) कानपुर नगर।
7. उप निदेशक सूचना कानपुर नगर को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क कराना सुनिश्चित करें।